न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम.नं. 2022/79
मुकदमा नम्बर 32/2022 दायर दिनांक–15.02.2022

1. जगदीश पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी पनियां की ढाणी तन भगेरा, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनूं

.....आवेदकगण

बनाम

1. गिरधारी लाल
2. गोपाल सिंह
3. शंकर लाल
4. सांवरमल पुत्रान स्व. कानाराम
5. छोटी देवी पत्नी स्व. कानाराम
6. प्रवीण पुत्र बजरंगलाल
7. मुन्नी पत्नी बजरंगलाल जाति धाबाई निवासीगण भगेरा तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनूं (राज0)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

.....अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं. धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वकील आवेदक–श्री विजेन्द्र सिह दूत
वकील अनावेदकगण 1,2,4,– श्री सुरेश कुमार सिगड़
अनावेदकगण 3,5,6,7– एक पक्षीय
अनावेदक सं. 8– पैरो. राज.

:–निर्णय–:

दिनांकः–07/05/2024

यह प्रा0 पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस कदर पेश किया गया कि, राजस्व ग्राम भगेरा की सरहद में नया खाता सं. 41 की कृषि भूमि ख.नं. 140 रकबा 2.78 है0 प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थी कृषि भूमि ख.नं. 140 रकबा 2.78 है0 में आने जाने बाबत् 15 फूट चौडा प्रश्नगत रास्ता संलग्न नक्शे में '' ए से बी '' बिन्दू से प्रदर्शित ग्राम भगेरा से गै. मु. नडिया जोहड तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज व आवागमन के रास्ते से आगे अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 7 की कृषि भूमि ख.नं. 155 रकबा 1.46 है0 की पश्चिम दिशा की तरफ से आगे उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे चलकर प्रार्थी की कृषि भूमि तक ''ए से बी'' बिन्दू का राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर कायम व स्थापित किया जावे।

प्रा0 पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण कि जारी की गई। अनावेदक सं. ,3,5,6,7 के विरूद्व प्रकरण मे एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक सं. 8 की और से पैरो. राज उपस्थित। अनावेदक सं. 1, 2 का जवाब पेश नही करने पर बन्द किय गया। अनावेदक सं. 1 व 4 की और से जवाब प्रा. पत्र निम्नप्रकार से पेश हुआ।

आवेदक जगदीश ने अपने चाचा महादेवाराम की जमीन खसरा नं. 142 ग्राम भगेरा के दक्षिणी से रास्ता आने–जाने के लिये ले रखा है , जो मौके पर मौजूद है। उक्त मामले से पहले आवेदक प्रार्थी ने अपने खेत खसरा नं. 140 में आने के लिये तहसीलदार के न्यायालय मे मामला चला था, जिसमे राजस्व अधिकारियों ने मौका देखकर रिपोर्ट दी थी, जो रिपोर्ट दिनांक 1/12/2006 की है, जो रास्ता भगेरा से तोगडा जाने वाले कटाण के रास्ते से निकलता है। इस तरह आवेदक प्रार्थी के लिये अपने खेत खसरा नं. 140 में आने जाने के लिये खसरा नं. 142 में मौके पर रास्ता मौजूद है , जिसके सबूत राजस्व कर्मचारियों की रिपोर्ट इस जवाब के साथ पेश है। उक्त रिपोर्ट मे रास्ता ए से बी खसरा नं. 141 तक बना हुआ है, जिससे 140 तक जाने के लिये खसरा नं. 141 मे से होकर रास्ता नियरेस्ट एण्ड सोरटेस्ट है , जिससे आवेदक प्रार्थी ने मांग नही की है तथा न ही खसरा नं. 141 के खातेदार को पक्षकार बनाया गया है। ख.नं. 141 के पूर्वी तरफ से सटकर नपती करवाई जावे जो नियरेस्ट व सोरटेस्ट है। ख.नं. 142 के खातेदार अन्य खातेदारों के साथ अनावेदक अप्रार्थी सांवरमल व अन्य भी है। ख.नं. 142 क दक्षिणी तरफ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

Scanned with CamScanner

10 फुट चौडा रास्ता मौके पर हैं। अतः खेत खसरा नं. 155 मे से तथाकथित रास्ता जो ए से बी मांगा है वह गैर जरूरी है जबकी इससे सोरटेस्ट एण्ड नियरेस्ट खसरा नं. 141 में से है। धारा 251 (क) के प्रावधान सुविधा के लिये रास्ता लेने पर लागू नही होते है। जगदीश पुत्र हीराराम का अपने खेत खसरा नं. 140 में आने जाने का रास्ता भगेरा से भेमपुरा, तोगडा खुर्द जाने वाले रास्ते से खसरा नं. 142 के दक्षिणी सीमा के साथ–साथ एंव खसरा नं. 141 की पूर्वी सीमा के साथ –साथ 10.5 फीट चौडा रास्ता है, जो खसरा नं. 141 में बन्द है व खसरा नं. 142 में खुला है, इस सबंध में न्यायालय तहसीलदार नवलगढ मुकदमा उनवानी जगदीश सिह ढाका बनाम सुगनाराम मुकदमा नं. 08/2007 निर्णय दिनांक 12/02/2007 में भी स्पष्ट किया है एंव जगदीश पुत्र हीराराम ने भी ग्राम पंचायत निवाई में भी आवेदन दिनांक 23/10/2006 एंव 6/11/2006 में भी लिखा है कि मेरे खेत खसरा नं. 140 का रास्ता खसरा नं. 142 की दक्षिणी सीमा के साथ–साथ व खसरा नं. 141 की पूर्वी सीमा के साथ–साथ है। इसके बावजूद अगर खसरा नं. 141 क काश्तकार सुगनाराम पुत्र भगवाना राम व अन्य द्वारा रास्ता नही दिया जाता है तो हम खसरा नं. 143 की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ रास्ते के बदले जमीन देने पर रास्ता दिये जाने मे सहमत है।

प्रकरण मे तहसीलदार नवलगढ से रिपोर्ट क्रमांक 435 दिनांक 18/09/2023 पेश होने पर अवलोकन की गई। जिसके अनुसार आवेदक को अपने खेत भूमि खसरा नं. 140 मे आने जाने के लिये वर्तमान मे अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को अपने खेत खसरा नं. 140 में पहुँचने के लिये लघुतम रास्ता ख.नं. 155 में 315 फुट लम्बाई व 15 फुट चौडाई कुल क्षेत्रफल 4725 वर्ग फुट भूमि रास्ते के उपयोग मे आयेगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई लघुतम रास्ता नही है।

बहस वकील उभय पक्ष पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा प्रा. पत्र मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकील आवेदक ने अपने प्रा. पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अनावेदक ने अपने जवाब प्रा. पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकुलान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट क्रमांक 435 दिनांक 18/09/2023 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व फर्द, नजरी नक्शे का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट मे आवेदक द्वारा अपने प्रा. पत्र मे चाहे गये रास्ते को नियरेस्ट व सोरटेस्ट बताया है।

इस प्रकार से आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता जो ख.नं. 155 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे है सबसे नियरेस्ट व सोरटेस्ट है। वकील अनावेदक अपने जवाब व बहस के तथ्यों को न्यायालय के समक्ष साबित करने मे असमर्थ रहा है। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा भी अपनी रिपोर्ट मे अन्य कोई नियरेस्ट व सोरटेस्ट रास्ते का विकल्प, आवेदक को अपनी कृषि जोत तक आने–जाने के उपलब्ध होना नही बताया है। लिहाजा तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक 435 दिनांक 18/09/2023 से इत्तिफाक रखते हुये आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है, आवेदक को अपनी कृषि जोत राजस्व ग्राम भगेरा की सरहद में नया खाता सं. 41 की कृषि भूमि ख.नं. 140 रकबा 2.78 है0 में आने जाने के लिये ख.नं. 155 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे प्रा. पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें के अनुसार ए से बी विन्दू जिसकी लम्बाई 315 फुट लम्बाई व चौडाई 15 फुट कुल क्षेत्रफल 4725 वर्ग फुट भूमि का रास्ता सिवायचक गै.मु. रास्ता दर्ज कर कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। **सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट** क्रमांक 435 दिनांक 18/09/2023 **मय नक्शा –फर्द तथा आवेदक द्वारा अपने प्रा. पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा उक्त आदेश का भाग होगा।**

तहसीलदार नवलगढ, को आदेशित किया जाता है कि, मुताबिक आदेश रास्ते से प्रभावित भूमि की डीएलसी की दो गुणा राशि जमा होने पर रास्ते से प्रभावित भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 सिवायचक रास्ता दर्ज कर देवे। डीएलसी दर की दोगुनी राशि प्रभावित खातेदारान/अनावेदकगण को दिलाई जावे। अनावेदकगण द्वारा राशि प्राप्त न करने पर राजकोष में अमानत मद में जमा करवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 07/05/2024 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned with CamScanner